रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253038
CG-DL-E-15032024-253038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945
No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

मि.सं.3-35/2021/एनसीएच/एचईबी/एमएसआर.सी.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15), की धारा 55 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (द) तथा (यक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011, के अधिक्रमण में, ऐसे मामलों को छोड़कर, जो इस तरह के अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने हेतु छोड़े गए हों , निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का नाम नए होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना), विनियम-2024 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ -(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है;

(ख) "संबद्ध अस्पताल" से तात्पर्य चिकित्सा संस्थान से जुड़ा एक शिक्षण होम्योपैथिक कॉलेजिएट अस्पताल है;

(ग) "पाठ्यक्रम" से तात्पर्य होम्योपैथी में अध्ययन के पाठ्यक्रम है, अर्थात्: -

(i) होम्योपैथी औषध तथा शल्यक्रिया स्नातक (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी), से तात्पर्य है

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त होम्योपैथी में स्नातक अर्हता;

(ii) "होम्योपैथी औषध वाचस्पति" (होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) का अर्थ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता है;

(iii) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता धारी कोई अन्य पाठ्यक्रम और इसमें स्नातक स्तर से ऊपर होम्योपैथी में प्रशिक्षण अथवा अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) भी शामिल होंगी ।

(घ) "प्रपत्र" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ा एक प्रपत्र है;

(ङ) "योजना" का अर्थ अनुमति तथा कोटिनिर्धारण प्राप्त करने हेतु महाविद्यालयों अथवा संस्थान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की एक संगठित योजना है ।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियॉ को परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जोकि अधिनियम में नियत किए गए हैं ।

3. महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने तथा प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति- कोई भी व्यक्ति जो कि एक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने में इच्छुक हो अथवा अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का एक नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम खोलने में इच्छुक हो उसे अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु इच्छुक हो उसे विनियम 4 से 6 में उल्लिखित प्रक्रियाओं तथा मानदंडों का अनुपालन करना होगा तथा विनियम 4 में निर्दिष्ट प्रपत्र में एक आवेदन के साथ होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड को एक योजना प्रस्तुत करनी होगी।

4. आवेदन और योजना-(1) चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष को प्रपत्र -1 में आवेदन के साथ आंकलन हेतु शुल्क जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण) विनियम, 2024 में उल्लेखित है, सहित योजना प्रस्तुत करेगा ।

(2) अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलने का इरादा रखने वाले किसी भी महाविद्यालय को होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड को प्रपत्र -2 में आवेदन के साथ आंकलन हेतु शुल्क जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण) विनियम, 2024 में उल्लेखित है, सहित योजना प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रस्तावित महाविद्यालयों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता वृद्धि के इच्छुक किसी भी महाविद्यालय को होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार होम्योपैथी हेतु अध्यक्ष, होम्योपैथी चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड को प्रपत्र -3 में आवेदन के साथ आंकलन हेतु शुल्क जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान आंकलन एवं श्रेणीनिर्धारण) विनियम, 2024 में उल्लेखित है, सहित योजना प्रस्तुत करेगा ।

5. आवेदन करने हेतु पात्रता- (1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन करने हेतु, कोई व्यक्ति अथवा संस्थान पात्र होगा यदि,-

(क) उनका एक उद्देश्य होम्योपैथी के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है;

(ख) प्रपत्र-4 में प्रस्तावित स्थल पर एक नया होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने हेतु संबंधित राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त कर लिया है;

(ग) नए चिकित्सा संस्थान खोलने हेतु राज्य के आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा;

(घ) अनापत्ति प्रमाण पत्र में चिकित्सा संस्थान तथा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के आरंभ होने के शैक्षणिक वर्ष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए;

(ङ) आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित साइट का दौरा कर आवश्यक विवरणों को सत्यापित करना चाहिए तथा तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया जाना चाहिए;

(च) अनापत्ति प्रमाण पत्र में वैधता की अवधि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(छ) किसी केंद्रीय अथवा राज्य के क़ानून के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय से एक नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए 'संबद्धता हेतु सहमति' प्राप्त की हो जो कि प्रपत्र-5 में दो साल के लिए वैध होगी;

(ज) प्रस्तावित महाविद्यालय की किसी भी कक्षा अथवा मानक अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में पहले से ही छात्रों को प्रवेश नहीं दिया हो;

(झ) विगत एक वर्ष से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-II के प्रावधानों के अनुसार एक कार्यात्मक होम्योपैथी अस्पताल का मालिक हो तथा उसका प्रबंधन करता हो;

(ञ) किसी अनुसूचित बैंक से प्रदर्शन बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर अवधि के लिए वैध सुरक्षा राशि प्रदान करने की स्थिति में;

(ट) सौ सीटों तक की प्रवेश क्षमता वाला महाविद्यालय- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पक्ष में दो करोड़ पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी, जोकि पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर अवधि के बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा शासित महाविद्यालयों पर उपरोक्त लागू नहीं होगा, यदि वे वचन दें कि जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं, वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे ।

(ठ) पिछले एक वर्ष से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचा और जनशक्ति स्थापित करने की स्थिति में है।

(2) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत आवेदन करने हेतु, कोई व्यक्ति अथवा संस्थान पात्र होगा यदि, -

(क) ने प्रपत्र-4 में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का एक नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु संबंधित राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया हो ;

(ख) अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु राज्य के आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने की शैक्षणिक वर्ष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित साइट का दौरा कर आवश्यक विवरणों को सत्यापित करना चाहिए तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

(घ) अनापत्ति प्रमाण पत्र में वैधता की अवधि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) प्रपत्र-5 में केन्द्रीय अथवा राज्य कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालय की 'संबद्धता की सहमति अथवा निरंतरता' प्राप्त की हो ;

(च) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण व अन्य बुनियादी ढांचे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हो;

(छ) होम्योपैथी में क्रमशः कम से कम साढ़े पांच साल और तीन साल के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार अथवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(ज) केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा प्रबंधन के लिए उप-खंड (घ) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई हो;

(झ) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पाठ्यक्रम का नामकरण, गाइड-छात्र अनुपात, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), विनियम, 2024 में निर्धारित किया जाएगा;

(ञ) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम - होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार बुनियादी ढांचे और जनशक्ति स्थापित करने में सक्षम हो;

(ट) महाविद्यालय अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर की अवधि हेतु एक अनुसूचित बैंक की राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक गारंटी या सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने का वचन देता हो;

(ठ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पक्ष में सात सीटों तक प्रति विषय पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी, जो कि पाठ्यक्रम की अवधि के बराबर अवधि के पश्चात बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा शासित महाविद्यालयों पर उपरोक्त लागू नहीं होगा, यदि वे वचन दें कि जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं, वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे ।

(3) विनियम 4 के उप-विनियम 3 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु कोई व्यक्ति अथवा चिकित्सा संस्थान पात्र होगा यदि, -

(क) उन्होंने प्रपत्र-4 में होम्योपैथिक मेडिकल महाविद्यालय की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु संबंधित राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया हो ;

(ख) प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु राज्य के आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रवेश क्षमता तथा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के शैक्षणिक वर्ष को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना गया हो ।

(घ) आयुष अथवा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित साइट का दौरा कर प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु सभी आवश्यक विवरणों को सत्यापित करे तथा तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय ले ।

(ङ) वह प्रपत्र 5 में केंद्रीय अथवा राज्य क़ानून के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय की 'संबद्धता की सहमति अथवा निरंतरता' प्राप्त करे;

(च) वह राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे ।

(छ) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा बनाए गए आयुर्विज्ञान अर्हता मान्यता सूची में सूचीबद्ध स्नातक पाठ्यक्रम के मामले में साढ़े पांच साल तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा डिग्री के मामले में तीन साल की अवधि पूरी कर ली हो;

(ज) स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा कोई अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाने हेतु केंद्र सरकार अथवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(झ) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अधिकतम संख्या एक सौ से अधिक नहीं हो;

(ञ) गाइड और छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार बनाए रखा जाता हो;

(ट) महाविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अनुशासन हेतु अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं हेतु एक अनुसूचित बैंक से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक बैंक गारंटी अथवा सुरक्षा राशि प्रदान करे:-

(i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रति सीट-पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी,

(ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु, प्रति दस सीटों पर चार लाख रुपये की बैंक गारंटी, लेकिन केवल सौ सीटों तक सीमित।

परन्तु यह कि राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा शासित महाविद्यालयों पर उपरोक्त लागू नहीं होगा, यदि वे वचन दें कि जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं, वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे ।

(4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता अधिकतम दस सीटों की होगी लेकिन किसी विशेष विषय में अधिकतम सात सीटों के लिए पहले अनुमति दी जाएगी। एक चिकित्सा संस्थान स्नातक पाठ्यक्रम में साठ से अधिक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सात से

अधिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अपने स्नातक पाठ्यक्रम अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले बैच के पूरा होने के बाद ही, जैसा भी मामला हो, आवेदन कर सकता है

6. भूमि की आवश्यकता- (क) इन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा संस्थान, अस्पताल तथा अन्य बुनियादी ढांचे सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि का एक टुकडा 3.5 एकड़ अथवा शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से कम न हो । यदि भूखंड सड़क अथवा नहर अथवा नाले से अलग हो किन्तु पुल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा । राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार आवश्यक निर्माण क्षेत्र वाले प्रस्तावित भवनों की निर्माण योजना को प्रमाणित अथवा अनुमोदित करने वाला जिला पंचायत अथवा स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र, जिसे भूमि के टुकड़े में समायोजित किया जा सकता है, प्रदान किया जाना चाहिए। आयोग की अनुमति हेतु आवेदन करने का समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(ख) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I और अनुसूची-II में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार महाविद्यालय तथा अस्पताल के लिए एक अलग भवन अथवा आपस में जुडा भवन हो सकता है । भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति के नाम होना चाहिए अथवा राज्य के नियमों के अनुसार कम से कम तीस वर्ष अथवा अधिकतम स्वीकार्य अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। हालाँकि, अनुमति का नवीनीकरण पट्टे की समाप्ति से एक वर्ष पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, नए महाविद्यालय प्रतिष्ठानों के लिए, व्यक्ति के नाम पर भूमि को अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु केवल होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान तथा संबद्ध अस्पताल हेतु भूमि के उपयोग के लिए अपरिवर्तनीय प्राधिकरण का समाधान हो । इस प्रकार पारित संकल्प को उस पंजीकरण प्राधिकारी को समवर्ती रूप से प्रस्तुत करना होगा अथवा अनुमोदित करना होगा जिसके साथ आवेदक पंजीकृत है। संपत्ति विशेष रूप से केवल होम्योपैथी शिक्षण संस्थान के लिए सीमांकित की जाएगी ।

(ग) चिकित्सा संस्थानों को आवेदन जमा करते समय तहसीलदार से भूमि पर कब्ज़े का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विभागीय माप के साथ भवन योजना को इन नियमों में निर्दिष्ट सुविधाओं के सत्यापन के बाद प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ङ) होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान तथा अस्पताल की इमारतें प्रचलित बिल्डिंग कोड तथा स्थानीय बिल्डिंग उपनियमों अथवा मानदंडों के अनुरूप होंगी। अस्पतालों में स्थानीय उपनियमों और विनियमों के अनुसार, रोगी निकासी योजनाओं सहित अग्नि-सुरक्षा उपाय होने चाहिए। उन्हें विकलांग लोगों तक पहुंच और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा। संस्थान और अस्पताल की इमारतें प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

7. प्रवेश क्षमता - होम्योपैथिक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आवेदन एक सौ सीटों तक विचारणीय होगा ।

8. जानकारी व वापसी मांगने की शक्ति - (क) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग तथा उसके स्वायत्त बोर्डों को ऐसी जानकारी व वापसी मांगने की शक्ति होगी जो कि वह उचित समझे । विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा संस्थान राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अपेक्षित उक्त जानकारी प्रस्तुत करेंगे,

परन्तु यह कि यदि चिकित्सा संस्थान समय-सीमा के अंदर जानकारी प्रदान करने तथा आयोग को वापस करने में विफल रहता है, तो आयोग यह मानते हुए कि संबंधित चिकित्सा संस्थान अनुपालन नहीं कर रहा है, अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 1 के खंड (च) के अंतर्गत संबंधित चिकित्सा संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान निरीक्षण अथवा मूल्यांकन के दौरान उनके द्वारा मांगे गए कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड अथवा आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को सभी आवश्यक जानकारी, दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रदान करेगा ।

9. पालन करने में विफलता- यदि कोई चिकित्सा संस्थान और संबद्ध अस्पताल न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करने में विफल रहता है, तो आयोग ऐसे संस्थानों या अस्पतालों के खिलाफ अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के तहत कार्रवाई की सिफारिश करेगा।।

10. चिकित्सा संस्थान तथा संबद्ध अस्पताल की आवश्यकता- (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I में

उल्लेखित वॉछित क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, कर्मचारी तथा उपकरण होंगे व अनुसूची II में संबद्ध अस्पताल के पास वॉछित क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी और उपकरण होंगे तथा अनुसूची- III में कर्मचारियों की योग्यता उल्लेखित होगी ।

(ख) यद्यपि, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पूर्व स्थापित एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, इन विनियमों में निर्धारित निर्मित अथवा निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष के अंदर पूरा करेंगे।

(ग) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले स्थापित एक सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के सभी मौजूदा चिकित्सा संस्थान, इन विनियमों में निर्धारित विभागवार निर्दिष्ट आवश्यकताओं को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूरा करेंगे ।

11. होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की आवश्यकताएं - (1) सामान्य - (क) चिकित्सा संस्थान विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों (चिकित्सा संस्थान और संलग्न अस्पताल दोनों में), पुस्तकालय, प्रशासनिक क्षेत्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए कमरे, छात्र सुविधाओं और अन्य प्रावधानों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त निर्मित स्थान प्रदान करेगा, जैसा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 की अनुसूची-I के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट है ।

(ख) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में छात्रों और प्रशिक्षुओं हेतु लिए संबद्ध अस्पताल तथा छात्रावास की, चिकित्सा संस्थान अथवा अस्पताल के संकाय व अन्य कर्मचारियों हेतु आवासीय क्षेत्र के साथ या उसके बिना, सुविधा होगी ।

परन्तु यह कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उस राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में दस लाख की आबादी के लिए सौ होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्य क्रिया स्नातक (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी) सीटों के अनुपात का पालन करेगा ।

(2) महाविद्यालय परिषद- (क) प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में एक महाविद्यालय परिषद होगी जिसमें शामिल होंगे चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी इकाई के लिए निर्दिष्ट सभी विभागों अथवा संकाय के प्रमुख सदस्य और प्राचार्य अथवा निदेशक, अध्यक्ष होंगे।

(ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुशासन के प्रवर्तन और अन्य शैक्षणिक मामलों का विवरण तैयार करने हेतु परिषद एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी। सभी बैठकों का कार्यवृत्त ठीक से रखा जाएगा ।

(ग) परिषद, नियमित रूप से संस्थान में आवधिक अनुसंधान समीक्षा सहित भव्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें और नैदानिक बैठकें जैसी अंतर-विभागीय बैठकें भी आयोजित करेगी।

(3) नए चिकित्सा संस्थानों की चरणवार विशिष्ट आवश्यकता- 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा एवं शल्यक्रिया स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहने वाले होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान को प्रावधान के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की स्थापना करनी होगी और अनुसूचियां (इस उप-विनियम में अनुसूची राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुरूप है:

(i) छात्रों के पहले बैच के प्रवेश से पूर्व, चिकित्सा संस्थान को-

(क) अनुसूची-II के अनुसार महाविद्यालय तथा संबद्ध अस्पताल हेतु निर्धारित भूमि में विनियम 10 के उप-विनियम (क) और उप-विनियम (ख) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता हेतु आवेदन जमा करते समय, आवेदन करने की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व कार्याशील होम्योपैथिक अस्पताल के साथ एक पूर्ण विकसित अस्पताल भवन होना चाहिए, जिसमें उचित संख्या में बिस्तर, बिस्तर अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग हो ।

(ख) प्रथम व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु आवश्यक अनुसूची-I और अनुसूची-III में निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता वाले सभी शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए ।

(ग) अनुसूची-II में निर्दिष्ट सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति और चिकित्सा अभ्यास विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ डॉक्टर अथवा नैदानिक शिक्षक , अस्पताल संचालन के लिए नियुक्त किया गया ।

(घ) एक पुस्तकालय, तीन हजार पुस्तकों वाला, एक सौ छात्रों की बैठने की क्षमता और दो लाइब्रेरियन तथा चपरासी।

(ङ) अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रथम व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण हेतु सुसज्जित और अच्छी तरह से सुसज्जित दो व्याख्यान कक्ष, शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं और संग्रहालय आवश्यक हैं। ।

(च) परिसर में औषधीय पौधों की कम से कम सौ प्रजातियों के रोपण के साथ पांच सौ वर्ग मीटर भूमि पर एक औषधीय पौधों का उद्यान।

(छ) अनुसूची- I और अनुसूची- II में निर्दिष्ट इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत पदों पर सौ प्रतिशत पैरामेडिकल, सहायक और अन्य अस्पताल कर्मचारी, नियमित या संविदात्मक आधार पर नियुक्त करेंगे ।

(ज) अस्पताल में दवाओं, डॉक्टरों और आपातकालीन प्रबंधन सहित चिकित्सा सेवाओं की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की करेंगे ।

(झ) पूर्ण रूप से कार्याशील भेषजी (फार्मेसी)।

(ii) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से कम से कम छह माह पूर्व चिकित्सा संस्थान का दौरा किया जाएगा तथा तब तक संस्थान में -

(क) अनुसूची-I और अनुसूची-III में निर्दिष्ट योग्यताधारी सभी शिक्षकों व प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक वर्ष के शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) एक पुस्तकालय, तीन हजार पुस्तकों सहित;

(ग) अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक वर्षों के शिक्षण हेतु आवश्यक समुचित और पूर्ण रूप से सुसज्जित तीन व्याख्यान कक्ष, शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं और संग्रहालय।

(iii) छात्रों के तृतीय बैच में प्रवेश से कम से कम छह माह पूर्व चिकित्सा संस्थान का दौरा किया जाएगा तथा उस समय संस्थानों के पास -

(क) अनुसूची-I और अनुसूची-III में निर्धारित अपेक्षित योग्यता वाले सभी शिक्षकों और पहले, दूसरे और तीसरे व्यावसायिक वर्ष शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) समुचित तथा पूर्ण रूप से सुसज्जित चार व्याख्यान कक्ष, शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं और संग्रहालय, जो अनुसूची- I में निर्दिष्ट प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय व्यावसायिक वर्षों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं ।

(iv) छात्रों के चतुर्थ बैच में प्रवेश से कम से कम छह माह पूर्व चिकित्सा संस्थान का दौरा किया जाएगा, संस्थान में होंगे-

(क) संबंधित विषय में अनुसूची I और अनुसूची-III में निर्धारित अपेक्षित योग्यताधारी सभी शिक्षक तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ व्यावसायिक वर्षों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारी;

(ख) पूर्णत: कार्याशील प्रयोगशालाएँ ।

(v) उपकरण, मशीनरी इत्यादि की सूची :-

संस्थान छात्रों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री का उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु उपकरण, मशीनरी आदि, जैसा कि अनुसूची-I और अनुसूची-II के अंतर्गत निर्दिष्ट है, चिकित्सा संस्थान के शिक्षण विभागों, अस्पताल, प्रयोगशालाओं और विच्छेदन हॉल, पुस्तकालय, फार्मेसी तथा संस्थान की अन्य इकाइयों में समुचित मात्रा में होने चाहिए ।

डॉ० तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./824/2023-24]

प्रपत्र-1

(विनिमय-4 का उप विनियम-(1) देखें)

नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना **हेतु अनुमति के लिए आवेदन**

1.		आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में):	
2.		पिन कोड, टेलीफोन नंबर सहित पूरा पता। फैक्स व ई-मेल (बड़े अक्षरों में)	

3.		प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो, पिन कोड के साथ, (टेलीफोन नंबर, फैक्स और ई-मेल):	
4.		आवेदक की स्थिति राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय अथवा ट्रस्ट	
5.		पंजीकरण या निगमन (संख्या और दिनांक यदि कोई हो)	
6.		सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता	
7.		राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार चिकित्सा संस्थान तथा संबद्ध अस्पताल हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ संबद्ध करें)	
8.	(क)	ट्रस्ट का गठन,	
	(ख)	सोसायटी अथवा ट्रस्ट के सदस्यों का विवरण,	
	(ग)	प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा परियोजना निदेशक	
9.		अस्पताल प्रमुख अथवा परियोजना निदेशक	
10.		ट्रस्ट सदस्यों की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अर्हता तथा अनुभव, यदि कोई हो	
11.		वित्तीय क्षमता (पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट प्रदान की जानी है) यदि आवेदक एक ट्रस्ट है, तो संसाधनों का विवरण दिया जाना चाहिए)	
12.		प्रस्तावित होम्योपैथी महाविद्यालय का नाम और पता	
13.	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थल की विशेषताएं		
	(क)	स्थलाकृति	
	(ख)	प्लॉट का आकार	
	(ग)	अनुमेय फ़्लोर स्पेस इंडेक्स	
	(घ)	ग्राउंड कवरेज	
	(ड.)	भवन की ऊंचाई	
	(च)	सड़क तक पहुंच	
	(छ)	सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता	
	(ज)	विद्युत आपूर्ति	
	(झ)	जल आपूर्ति	
	(ञ)	मल निकास सुविधा	
	(ट)	संचार सुविधाएँ	
	(ठ)	प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु महायोजना	

	(ङ)	खाका योजना, विभाग	
	(ढ)	ऊंचाई और फर्श के अनुसार क्षेत्र की गणना	
14.	शिक्षण कार्यक्रम		
	(क)	प्रस्तावित वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता	
	(ख)	प्रवेश की प्रविधि	
	(ग)	अखिल भारतीय कोटा	
	(घ)	केन्द्रीय कोटा	
	(ड.)	प्रबंधन कोटा	
	(च)	अनिवसीय भारतीय कोटा	
	(छ)	राज्य कोटा	
	(ज)	सीटों का आरक्षण या अधिमानी आवंटन	
15.	कार्यात्मक कार्यक्रम		
	(क)	विभागवार एवं सेवावार कार्यात्मक आवश्यकताएँ	
	(ख)	क्षेत्र वितरण एवं कक्षवार बैठने की क्षमता	
16.	उपकरण		
	(क)	मात्रा और विशिष्टताओं की वर्षवार अनुसूची के साथ उपकरणों की विभागवार सूची	
	(ख)	चिकित्सा उपकरण	
	(ग)	वैज्ञानिक उपकरण	
	(घ)	संबद्ध उपकरण	
17.	जनशक्ति - विभागवार एवं वर्षवार प्रावधान		
	(क)	पूर्ण कालिक शिक्षण कर्मचारी	
	(ख)	तकनीकी कर्मचारी	
	(ग)	प्रशासनिक कर्मचारी	
	(घ)	सहायक कर्मचारी	
	(ड.)	वेतन संरचना	
	(च)	वेतन भुगतान प्राविधि	
	(छ)	भर्ती प्रक्रिया	
	(ज)	भर्ती कैलेंडर	
18.	निर्माण कार्यक्रम		
	(क)	विभाग, व्याख्यान थिएटर, परीक्षा कक्ष, संग्रहालय आदि	
	(ख)	कर्मचारियों के रहने हेतु कमरे	
	(ग)	कर्मचारी एवं छात्रों हेतु छात्रावास	
	(घ)	प्रशासनिक कार्यालय	
	(ड.)	पुस्तकालय	

	(च)	सभागार	
	(छ)	भेषजी शिक्षण	
	(ज)	शवगृह	
	(झ)	सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केन्द्र	
	(ञ)	क्रीडा स्थल	
	(ट)	औषधीय पादप उद्यान	
	अन्य सुविधाएँ (अन्य सुविधाओं का नाम उल्लेखिल करें)		
19.	प्रस्तावित चरणवद्ध कार्यक्रम एवं तिमाहीवार गतिविधियों की अनुसूची का		
	(क)	भवन डिजाइन का प्रारंभ और समापन	
	(ख)	स्थानीय निकाय की मंजूरी	
	(ग)	नगर विनिर्मण	
	(घ)	अभियांत्रिकी सेवा और उपकरण का प्रावधान	
	(ड.)	कर्मचारी आवश्यकता	
	(च)	प्रवेश कार्यक्रम	
20.	परियोजना लागत		
	(क)	भूमि की पूजी लागत	
	(ख)	भवन	
	(ग)	संयंत्र एवं मशीनरी	
	(घ)	चिकित्सा, वैज्ञानिक और संबद्ध उपकरण	
	(ड.)	फ़र्निचर व फिक्सचर	
	(च)	प्रारंभिक और पूर्व-संचालन व्यय	
21.	परियोजना के वित्तपोषण के साधन		
	(क)	आवेदक का योगदान	
	(ख)	अनुदान	
	(ग)	दान	
	(घ)	इक्विटी	
	(ड.)	सावधिक ऋण	
	(च)	अन्य स्रोत, यदि कोई हो	
22.	राजस्व अनुमान		
	(क)	शुल्क संरचना	
	(ख)	अस्पताल उपयोगकर्ता शुल्क	
	(ग)	विभिन्न स्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व	
23.	व्यय अनुमान		
	(क)	प्रचालन व्यय	

	(ख)	मूल्यह्रास	
24.	प्रचालन परिणाम		
	(क)	आय विवरण	
	(ख)	नकदी प्रवाह विवरण	
	(ग)	अनुमानित बैलेंस शीट	
25.	वर्तमान अस्पताल का नाम, पता तथा विवरण		
	(क)	शैय्या क्षमता	
	(ख)	शैय्या विभाजन, , शैय्या अधिभोग, और क्या छात्र व रोगी का 1:2 का अनुपात का मानक पूरा किया जा रहा है,	
	(ग)	निर्मित क्षेत्र	
	(घ)	नैदनिक तथा परा नैदानिक अनुशासन	
	(ड.)	बाह्य रोगी विभागों की संख्या और विभागवार उपस्थिति	
	(च)	वास्तुशिल्प और लेआउट योजनाएं	
	(छ)	चिकित्सा या संबद्ध उपकरणों की सूची	
	(ज)	अभियांत्रिकी सेवाओं की क्षमता और विन्यास	
	(झ)	अस्पताल सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ, अन्य सहायक और सहायता सेवाएँ (श्रेणीवार कर्मचारी संख्या)	

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नकों की सूची :

1. उपनियम अथवा ज्ञापन तथा और एसोसिएशन अथवा ट्रस्ट डीड के लेखों की किसी भी राष्ट्रीय भाषा में अनुवादित प्रमाणित प्रति,
2. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ।
3. विगत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।
4. स्वामित्व के प्रमाण के रूप में उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेख की किसी भी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) में अनुवादित प्रमाणित प्रति।
5. उनके भूमि उपयोग का संकेत देने वाली उपलब्ध साइटों की ज़ोनिंग योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण ।
7. संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।
8. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी की "सहमति की संबद्धता"प्रमाणित प्रति।
9. आवेदक के बैंकरों को संबोधित प्राधिकरण पत्र, जिसमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है ।

10.भूमि एवं भवन की सभी माप मेट्रिक सिस्टम में होनी चाहिए।

11. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

12. अनुप्रयोगों के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य संलग्नक (कृपया विवरण इंगित करें)

नोट: सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएंगी।

प्रपत्र-2

(विनिमय-4 का उप विनियम-(2) देखें)

अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ की अनुमति हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) _____
2. पिन कोड, टेलीफोन नंबर अथवा मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ पूरा पता (बड़े अक्षरों में)

   _____
3. प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, ई-मेल और वेबसाइट के साथ)_____
4. आवेदक की स्थिति, राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक या निजी ट्रस्ट_____
5. पंजीकरण संख्या और तारीख: केंद्र अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण अथवा चैरिटी आयुक्त अथवा नीति आयोग पोर्टल आईडी (यदि कोई हो)_____
6. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता _____
7. स्नातक पाठ्यक्रम हेतु प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष_____
8. स्नातक में प्रथम बैच के प्रवेश का पूरा होने का महीना और वर्ष_____
9. वर्तमान स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या तथा मान्यता की तिथि _____
10. अध्ययन के प्रस्तावित नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम का नाम_____
11. प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषयवार स्नातक तथा स्नातकोत्तर हेतु आवेदित सीटों की संख्या_____
12. अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का विवरण_____
13. अतिरिक्त स्थान के लिए प्रावधान का विवरण _____
14. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएं का विवरण _____
15. अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती प्रावधान का विवरण _____
16. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी_____

दिनॉक :

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :.....

पद का नाम: .....

अनुलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता की निरंतरता अथवा सहमति सत्यापित प्रति।
3. केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को अधिकृत करने हेतु आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्थान के वित्तीय साख के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने हेतु, आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।
4. यदि पहले से ही केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित है तो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से महाविद्यालय अथवा संस्थान की मान्यता को मंजूरी प्रदान करने वाले पत्र की सत्यापित प्रति ।
5. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार आवश्यक सभी अनुबंध आवेदक महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक अथवा डीन द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए प्रपत्र के साथ संबद्ध किए जाने चाहिए।

नोट : सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएंगी।

प्रपत्र-3

(विनियम-4 का उप विनियम (3) देखें)

प्रवेश क्षमता वृद्धि की अनुमति हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) _____

2. पिन कोड, टेलीफोन नंबर अथवा मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ पूरा पता (ब्लॉक अक्षरों में)

_____

3. प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, ई-मेल और संस्थान अथवा महाविद्यालय की वेब साइट के साथ) _____

4. आवेदक की स्थिति राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक अथवा निजी ट्रस्ट

_____

5. पंजीकरण संख्या तथा तिथि: केंद्र अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण अथवा चैरिटी आयोग अथवा नीति आयोग पोर्टल आईडी (यदि कोई हो) _____

6. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता _____

7. स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष _____

8. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले पहले बैच के प्रवेश का महीना व वर्ष _____

9. पहले प्रवेशित स्नातक बैच के पूरा होने का महीना तथा वर्ष _____

10. वर्तमान स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या तथा मान्यता की तिथि_____

11. प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए लागू अध्ययन के पाठ्यक्रम का नाम_____

12. प्रत्येक विषय अथवा पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या_____

13.अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का विवरण _____

14. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार अतिरिक्त स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का विवरण

_____

15.अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के प्रावधान का विवरण_____

16. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी_____

दिनॉक :

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम: _____

पद का नाम:_____

अनुलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता की निरंतरता अथवा सहमति सत्यापित प्रति।
3. केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को अधिकृत करने हेतु आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्थान के वित्तीय साख के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करने हेतु, आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।
4. यदि पहले से ही अनुमोदित है तो आयुष मंत्रालय अथवा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अथवा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से महाविद्यालय अथवा संस्थान की मान्यता को मंजूरी प्रदान करने वाले पत्र की सत्यापित प्रति ।
5. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 के अनुसार आवश्यक सभी अनुबंध आवेदक महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक अथवा डीन द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए प्रपत्र के साथ संबद्ध किए जाने चाहिए।

नोट : सभी प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएंगी।

प्रपत्र-4

(विनियम-5 का उप विनियम (1) खण्ड (ख) देखें)

राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या: .....

..... सरकार

आयुष विभाग,

सेवा में,

दिनॉक .....

(आवेदक का नाम और पता)

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र

संदर्भ :-

महोदय,

वांछित "अनापत्ति प्रमाणपत्र" निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में जारी किया जा रहा है:

(1) संबंधित जिले में पहले से मौजूद होम्योपैथिक संस्थानों की संख्या और कुल आबादी।

(2) उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा होम्योपैथिक चिकित्सकों की जुड़ने वाली वार्षिक संख्या।

(3) राज्य परिषद अथवा होम्योपैथी बोर्ड में पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों की संख्या।

(4) राजकीय सेवा में होम्योपैथी चिकित्सकों की संख्या।

(5) राज्य में विशेषकर ग्रामीण अथवा दुर्गम क्षेत्रों में होम्योपैथी चिकित्सको के रिक्त सरकारी पदों की संख्या।

(6) राज्य रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सको की संख्या।

(7) राज्य में होम्योपैथी चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात

(8) .....पाठ्यक्रम में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा आरंभ किस प्रकार से राज्य में योग्य चिकित्सा कर्मियों की कमी की समस्या का समाधान करेगा तथा राज्य में ऐसी चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता में सुधार करेगा,

(9) राज्य सरकार द्वारा उन छात्रों पर, जो राज्य के निवासी नहीं हैं, राज्य में प्रवेश प्राप्त करने

पर लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हों, निर्दिष्ट किए जाएं।

(10)प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आरंभ करने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा नया अथवा उच्च पाठ्यक्रम आरंभ करने का पूर्ण औचित्य।

(11)होम्योपैथी चिकित्सक -जनसंख्या अनुपात हासिल किया जाएगा।

i. मैं, (आवेदक का नाम) ..... ने ..... में नए चिकित्सा संस्थान (होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय) की स्थापना हेतु आवेदन किया है। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर ..... सरकार ने ..... (संख्या) सीटों की क्षमता के साथ..... ..... पाठ्यक्रम के साथ ..... एक नए चिकित्सा संस्थान (होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय) की स्थापना हेतु आवेदक को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने का निर्णय लिया है ।

ii. द्वितीय (आवेदक का नाम) ..... ने (होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय) चिकित्सा संस्थान में ..... वर्ष से आरंभ होने वाली .....से ..... तक सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु आवेदन किया है ।

प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ... सरकार ने सीटों की क्षमता (होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज) में ..... से ..... तक (संख्या) सीटों की क्षमता वृद्धि के लिए आवेदक को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने का निर्णय लिया है। ... ।

iii. ..... (आवेदक का नाम) .....में नए उच्च पाठ्यक्रम खोलने अथवा वर्तमान उच्च पाठ्यक्रम में सीटों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु आवेदन किया है। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ... सरकार ने (क) होम्योपैथी मटेरिया मेडिका हेतु ..... (संख्या) (ख) ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए ..... सीटें (ग) रिपर्टरी के लिए ..... सीटें (घ) भेषजी के लिए .....सीटें (ङ) औषध साभ्यास के लिए..... सीटें (च) बाल रोग ..... सीटें (च) मनोरोग ..... सीटें (ज) सामुदायिक चिकित्सा ..... सीटें (झ) त्वचाविज्ञान..... सीटों की प्रवेश क्षमता के लिए ..... पाठ्यक्रम आरंभ करना अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु आवेदक को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने का निर्णय लिया है।

प्रमाणित किया जाता है ;

(क) आवेदक पचास शैय्या वाले अस्पताल का स्वामित्व और प्रबंधन करता है, जिसे वर्ष ..... में स्थापित किया गया था।

(ख) जनहित में एक नया चिकित्सा संस्थान स्थापित करने अथवा नया उच्च पाठ्यक्रम आरंभ अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने अथवा ..... शुरू करना वांछनीय है। पाठ्यक्रम तथा

(ग) नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि अथवा (ट्रस्ट का नाम) द्वारा ..... पाठ्यक्रम शुरू करना संभव है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित अथवा वर्तमान मौजूदा चिकित्सा संस्थान (होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज) के पास लागू न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक लागू न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर मानदंडों के अनुरूप होम्योपैथी महाविद्यालय हेतु बुनियादी ढांचा बनाने में विफल रहता है तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अथवा केंद्र सरकार द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले प्रवेश ले चुके छात्रों की जिम्मेदारी लेगी ।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है ।

आपका विश्वासी,

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर सहित

प्रपत्र-5

(विनियम 5 का उप-विनियम (1) खंड (छ) देखें))

संबद्धता हेतु सहमति

संख्या .....

विश्वविद्यालय.....

स्थान:_____

दिनांक: _____

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर -------- विश्वविद्यालय प्रस्तावित होम्योपैथी महाविद्यालय को (आवेदक का नाम) .....सीट की प्रवेश क्षमता के साथ .....(स्थान) पर प्रवेश क्षमता-------से-------सीटों तक ---------- पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम आरंभ अथवा अध्यक्ष, चिकित्सा आंकलन और रेटिंग बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, अधिनियम 2020 की धारा _____ तथा इसके अधीन नियमों के अंतर्गत संबद्ध करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई है।

आपका विश्वासी,

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

नोट:- आवेदक को संबद्धता की सहमति जारी करते समय, प्रस्तावित होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्थान की विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट के साथ इसकी एक प्रति निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष, एमएआरबीएच, 61-65, डी-ब्लॉक रोड, औद्योगिक क्षेत्र, जनकपुरी, दिल्ली-110058 को प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय अथवा संस्थान के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से अनुमति के अधीन हर साल संबद्धता जारी रखने या संबद्धता की सहमति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है ।

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

F.No. 3-35/2021/NCH/HEB/MSR.C.–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (r) and (za) of sub-section (2) of Section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), and in supersession of the Establishment of New Medical College, (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admissions Capacity by a Medical College) Regulations, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Establishment of New Homoeopathic Medical Institution (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Intake Capacity by a Medical Institution), Regulations-2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) "attached hospital" means a teaching Homoeopathic Collegiate Hospital attached to the medical institution;

(c) "Course" means the courses of study in Homoeopathy, namely:-

(i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery, means an Undergraduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

(ii) "Doctor of Medicine in Homoeopathy" means a Post Graduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act;

(iii) any other course with medical qualification recognised by Homoeopathy Education Board and shall also include trainings or fellowship in Homoeopathy above graduate level.

(d) "Form" means a Form annexed to these regulations;

(e) "Scheme" means an organised plan of furnishing information about the Colleges or Institution for achieving permission and rating.

(2) The words and expression used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Permission for establishment of a college, opening of new or higher course of study or training and increase of intake capacity. - Any person intending to establish a medical institution or intending to open a new or higher course of study or training or intending to increase intake capacity in any course of study or training shall follow the procedures and criteria mentioned in regulations 4 to 6 and submit a scheme to the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with an application in the Form specified in regulation 4.

4. Application and Scheme.- (1) Any person intending to establish a medical institution shall submit the scheme along with an application in Form-1 to the President, Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per schedule declared by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with processing fee for assessment as specified in National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institution) Regulations, 2024.

(2) Any college intending to open a new or higher course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form-2 to the President, Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per schedule declared by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with processing fee for assessment as specified in National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institution) Regulations, 2024.

(3) Any college intending to increase its intake capacity in any course of study or training of the proposed college shall submit the scheme along with an application in Form-3 to the President, Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy as per schedule declared by the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy along with processing fee for assessment as specified in National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institution) Regulations, 2024.

5. Eligibility for making an application.- (1) For making an application under sub-regulation (1) of regulation 4, a person or a institute shall be eligible if, -

(a) his one of the objectives is to impart quality education about Homoeopathy;

(b) has obtained 'No Objection Certificate' from the concerned State Government for establishing a new homoeopathic medical institution at the proposed site in Form-4;

(c) No objection certificate for opening new medical institution shall be obtained from the Secretary, Department of AYUSH or Health of the state;

(d) the No objection certificate should clearly specify the academic year of starting of the medical institution and the approved courses;

(e) concerned officials from Department of AYUSH or Health should visit the proposed site and verify the required details and accordingly decision for issuing the No objection certificate may be taken;

(f) the No Objection Certificate should contain the period of validity not exceeding three years from the date of issuing No objection certificate;

(g) has obtained a 'Consent of Affiliation' for establishing a new medical institution from a University established under any Central or State statute which shall be valid for two years, in Form-5;

(h) has not already admitted students in any class or standard or course or training of the proposed college;

(i) owns and manages a functional homoeopathic hospital in accordance with the provisions of the Second Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 from last one year;

(j) in a position to provide performance bank guarantee from a Scheduled Bank or Security amount valid for a period equivalent to the duration of course in favour of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi;

(k) college with capacity up to hundred seats- Bank guarantee of rupees two crores and fifty lakhs in favour of the National Commission for Homoeopathy which will be refunded without interest after a period equivalent to the duration of course:

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

(l) is in a position to establish infrastructure and manpower in phased manner in accordance to the provision specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 from last one year.

(2) For making an application under sub-regulation (2) of regulation 4, a person or an institute shall be eligible if, -

(a) has obtained 'No Objection Certificate' from the concerned State Government for opening a new or higher course of study or training in Form-4;

(b) No objection certificate for opening new or higher course of study or training shall be obtained from the Secretary, Department of AYUSH or Health of the state.

(c) The No objection certificate should clearly specify the academic year of starting of the new course. Concerned officials from the Department of AYUSH or Health should visit the proposed site and verify the required details and accordingly decision for issuing the No objection certificate may be taken.

(d) The No Objection Certificate should contain the period of validity not exceeding three years from the date of issuing No objection certificate.

(e) has obtained a 'Consent or Continuance of Affiliation' of the University established under Central or State Statute in Form-5;

(f) is able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024;

(g) is recognised by the Central Government or the Commission for running undergraduate or post-graduate course in Homoeopathy for at least five and a half years and three years respectively;

(h) is exempted by the Central government for being owned or managed by the Central Government or the State Government from fulfilling the criteria specified in sub-clause (d);

(i) the nomenclature of post-graduate degree or course, guide-student ratio shall be as laid down in the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course-Doctor of Medicine in Homoeopathy), Regulations, 2024;

(j) is able to establish infrastructure and manpower in accordance with the provisions of the National Commission for (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy), Regulations, 2024;

(k) the college provides an undertaking to furnish a bank guarantee or security amount in favor of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, from a Scheduled bank for a period equivalent to the duration of the course for providing additional infrastructure facilities;

(l) post-graduate Course- Bank guarantee of rupees fifty lakh per subject upto seven seats in favor of the National Commission for Homoeopathy which will be refunded without interest after a period equivalent to the duration of course:

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

(3) For making an application under sub-regulation 3 of regulation 4, a person or a medical institution shall be eligible if, -

(a) has obtained 'No Objection Certificate' from the concerned State Government for increasing intake capacity of Homoeopathic medical college in Form-4;

(b) No Objection Certificate for increasing the intake capacity shall be obtained from the Secretary, Department of AYUSH or Health of the state.

(c) The No Objection Certificate should clearly specify the academic year of increasing the intake capacity and the approved courses.

(d) Concerned officials from the Department of AYUSH or Health should visit the proposed site and verify all the required details for increase in intake capacity and accordingly decision for issuing the No Objection Certificate may be taken.

(e) has obtained a 'Consent or Continuance of Affiliation' of the University established under Central or State Statute in Form 5;

(f) has produced documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as specified in the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and attached hospitals) Regulations, 2024;

(g) has completed a period of five and half years in case of undergraduate course and three years in case of post-graduate course and degree included in the Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act or listed in Medical Qualification Recognition List maintained by the National Commission for Homoeopathy;

(h) recognised by the Central Government or Commission for running undergraduate or post-graduate or any other recognised course;

(i) the maximum number of admissions in undergraduate course does not exceed one hundred;

(j) the ratio of Guide and students is maintained as laid down in the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy), Regulations, 2024;

(k) college provides a bank guarantee or security amount in favor of the National Commission for Homoeopathy, New Delhi, from a Scheduled bank for additional infrastructure facilities for each course or discipline as follows: -

(i) Post-graduate Course per seat- Bank guarantee of rupees five lakh.

(ii) For undergraduate course, Bank guarantee of rupees four lakhs per ten seats but limited up to one hundred seats only.

provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

(4) The annual intake capacity in post-graduate course shall be maximum ten seats but first permission shall be granted for maximum seven seats in a specialty subject. Amedical institution may apply for increase in intake capacity above sixty in undergraduate course or above seven in post-graduate course or starting of post-graduate course only after completion of first batch of its undergraduate course or post-graduate course, as the case may be.

6. Requirement of land.- (a) The total built up area required for adequate infrastructure including medical institution, hospital and other infrastructure required under these regulations is made available in a single piece of land, not less than 3.5 acres, in rural areas, or 2.5 acres in urban and hilly areas. The plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, will be treated as one piece of land. A certificate from the Jila panchayat or local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the First Schedule and the Second Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024, which can be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Commission.

(b) There can be a separate building or interconnected building for the college and hospital as per the requirements mentioned in the First Schedule and the Second Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024. The land should be owned by the person or possessed on lease of not less than thirty years or maximum permissible period as per State regulations. Renewal of permission shall, however, must be obtained one year prior to expiry of lease. However, for new college establishments, the land in the name of person can be considered for grant of permission, provided there is a resolution of irrevocable authority for use of land only for homoeopathic medical institution and attached hospital. The resolution so passed shall have to be concurrently submitted to or approved by the registering authority with which applicant is registered. The property shall be exclusively demarcated for homoeopathy educational institution only.

(c) Medical institutions shall submit the possession certificate for land from tehsildar while submitting application.

(d) The building plan with departmental measurements must be certified by local authority of the Central Government or the State Government after verifying facilities as specified in these regulations.

(e) The buildings of the Homoeopathic medical Institute and hospital shall conform to the prevailing building codes and local building byelaws or norms. The hospitals should have fire-safety measures, including patient evacuation plans as per local byelaws and regulations. They must also comply with the requirements for providing access and facilities to those who are disabled. The buildings of the institute and hospital shall meet the requirements for the numbers of students to be admitted as specified.

7. Intake capacity.- The application in homoeopathic degree course, namely, Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery shall be considered up to one hundred seats.

8. POWER TO CALL FOR INFORMATION AND RETURNS.- (A) THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY AND ITS AUTONOMOUS BOARDS SHALL HAVE THE POWER TO CALL FOR SUCH INFORMATION AND RETURNS AS IT MAY DEEM FIT. THE UNIVERSITY AND MEDICAL INSTITUTION SHALL FURNISH THE SAID INFORMATION AS REQUIRED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY:

Provided that if the medical institution fails to provide the information and return to Commission within time-limit as notified by the Commission from time to time, the Commission shall recommend for action against the medical institution under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act assuming that the medical institution is not complying with the provisions of regulation.

(b) Every medical institution shall provide all necessary information, documents and records to the inspectors appointed by the Medical Assessment and Rating Board or Commission to discharge their functions demanded by them during the inspection or assessment.

9. Failure to comply.- If any medical institution and attached hospital fails to comply with minimum essential standards, the Commission shall recommend for action against such institutions or hospitals under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act**.**

10. REQUIREMENT OF MEDICAL INSTITUTION AND ATTACHED HOSPITAL.- (A) EVERY MEDICAL INSTITUTION SHALL HAVE THE REQUIRED AREAS, INFRASTRUCTURE, STAFFS, EQUIPMENT AS MENTIONED IN THE FIRST SCHEDULE AND ATTACHED HOSPITAL SHALL HAVE THE REQUIRED AREAS, INFRASTRUCTURE, STAFFS AND EQUIPMENT AS GIVEN IN THE SECOND SCHEDULE, AND QUALIFICATION OF THE STAFF MENTIONED IN THE THIRD SCHEDULE OF THE NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY (MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR HOMOEOPATHIC COLLEGES AND ATTACHED HOSPITALS) REGULATIONS, 2024.

(b) However, all the existing medical institutions with intake capacity of one hundred seats, established prior to the date of notification of these regulations, shall fulfill the requirements of built up or constructed area, as laid down in these regulations within a period of five years from the date of notification of these regulations.

(c) All the existing medical institutions with intake capacity of one hundred seats, established prior to date of notification of these regulations, shall fulfill the specified department wise requirements, as laid down in these regulations within a period of one year from the date of notification of these regulations.

11. Requirements of the Homoeopathic medical institution.- (1) General- (a) The medical institution shall provide adequate built-up space to accommodate various teaching areas (both in the medical institution and the attached hospital), library, administrative areas, rooms for teaching and non-teaching staff, student amenities, and other provisions as specified in various sections of the First Schedule of the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024.

(b) Every medical institution shall have the attached hospital and hostel facility for the students and interns, with or without the residential area for faculty and other staff of medical institution or hospital.

Provided that medical college shall follow the ratio of hundred Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery seats for ten lakh population in that State Government or Union territory Administration.

(2) COLLEGE COUNCIL.– (A) EVERY MEDICAL INSTITUTION SHALL HAVE A COLLEGE COUNCIL COMPRISING OF THE HEAD OF ALL THE DEPARTMENTS OR FACULTY SPECIFIED FOR MEDICAL EDUCATION TECHNOLOGY UNIT AS MEMBERS AND PRINCIPAL OR DIRECTOR AS CHAIRPERSON.

(b) The council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters. Minutes of all the meetings shall be maintained properly.

(c) The council shall also organize inter-departmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the institution regularly.

(3) Phase wise specific requirement of new medical institutions.- A homoeopathic medical institution seeking permission for starting Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery course under sub-section (1) of 29 shall establish infrastructure and manpower in phased manner as per the provision and Schedules (Schedule in this sub-regulation correspond to the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and attached hospitals) Regulations, 2024, mentioned below:

(i) Before the admission of the first batch of students, the medical institution shall have-

(a) at the time of submission of application, there should be a fully developed hospital building with functional homoeopathic hospital at least for one year before the date of making application; having appropriate number of beds, bed occupancy and Out Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity specified in sub-regulation (A) & sub-regulation (B) of regulation (10) in the land earmarked for college and attached hospital as per the

Second Schedule.

(b) all teachers with the requisite qualifications as specified in the First Schedule and the Third Schedule required for first professional year teaching should be available.

(c) At least one specialist doctor or clinical teacher, each of Surgery, Gynecology and Obstetrics and Practice of Medicine departments as specified in the Second Schedule, appointed for operating the hospital.

(d) A library with three thousand books, seating capacity of one hundred students and two librarian and peon.

(e) A properly furnished and well equipped two lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for the first professional year teaching as specified in the First Schedule.

(f) A medicinal plants garden covering five hundred square meters of land with plantation of at least hundred species of medicinal plants in premises.

(g) Hundred percent of paramedical, supporting and other hospital staff on the posts sanctioned for the purpose, on regular or contractual basis as specified in the First Schedule and the Second Schedule.

(h) Assured round the clock availability of medical services including medicines, doctors and emergency management in the hospital.

(i) Fully functional pharmacy.

(ii) The medical institution shall be visited at least six months before the admission of the Second batch of students and at that time the institution shall have-

(a) All teachers with the requisite qualification as specified in the First Schedule and the Third Schedule and non-teaching staff required for the first and the second professional years teaching and training should be appointed;

(b) a library with three thousand books;

(c) A properly furnished and well-equipped three lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years teachingas specified in the First Schedule.

(iii) The medical institution shall be visited at least six months before the admission of third batch of students and that time the institutions shall have—

(a) All teachers with the requisite qualification as prescribed in the First Schedule and the Third Schedule and non-teaching staff required for the first, second and third professional year teaching and training should be appointed;

(b) A properly furnished and well equipped four lecture halls, teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years teaching as specified in the First Schedule.

(iv) The medical institution shall be visited at least six months before the admission of the fourth batch of students, the institution shall have-

(a) All teachers with the requisite qualification as prescribed in the First Schedule and the Third Schedule in the concerned subject and non-teaching staff required for the first, second, third, and fourth professional years teaching and training;

(b) Fully functional laboratories.

(v) List of equipment, machinery, etc.

To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the medical institution shall possess all the required equipment, machinery etc., in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the institution in sufficient numbers, as specified under the First Schedule and the Second Schedule.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, Homoeopathy Education Board

[ADVT.-III/4/Exty./824/2023-24]

FORM-1

(See sub-regulation (1) of regulation 4)

APPLICATION FOR PERMISION TO ESTABLISH A NEW MEDICAL INSTITUTION

1.		Name of the applicant (in BLOCK letters):	
2.		Complete Address with Pin Code, telephone numbers fax and e-mail (in BLOCK letters)	
3.		Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, (Telephone numbers, fax and e-mail):	
4.		Status of applicant whether State Government or Central Government or Union territory Administration or University or Trust	
5.		Registration or incorporation (Number and date if any)	
6.		Name and address of Affiliating University	
7.		Basic infrastructure Facilities available for Medical institution and attached Hospital (Attach separate sheet if necessary) As per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and attached hospitals) Regulations, 2024.	
8.	(a)	Composition of the Trust,	
	(b)	Particulars of members of the Society or Trust,	
	(c)	Head or Project Director of the proposed Medical College	
9.		Head or Project Director of hospital	
10.		Qualifications and Experience in the field of Medical education of trustmembers, if any	
11.		Financial Capability (Balance sheet for the lastthree years to be provided) If the applicant is a trust, details of the resources to be prescribed)	
12.		Name and Address of the proposed Homoeopathy College	
13.	Characteristics of proposed site of the Medical College		
	(a)	Topography	
	(b)	Plot size	
	(c)	Permissible floor space index	
	(d)	Ground coverage	
	(e)	Building height	
	(f)	Road access	
	(g)	Availability of public transport	
	(h)	Electric supply	
	(i)	Water supply	
	(j)	Sewerage connection	
	(k)	Communication facilities	
	(l)	Master plan of the Proposed Medical College	
	(m)	Layout plans, sections	
	(n)	Elevations and floor wise area calculations	
14.	Educational Programme		
	(a)	Proposed annual intake capacity of students	
	(b)	Mode of admission	
	(c)	All India Quota	
	(d)	Central Quota	
	(e)	Management Quota	

	(f)	N R I quota	
	(g)	State Quota	
	(h)	Reservation or preferential allocation of seats	
15.	Functional Programme		
	(a)	Department wise and service wise functional requirements	
	(b)	Area distribution and room wise sitting capacity	
16.	Equipment		
	(a)	Department wise list of equipment with year wise schedule of quantities and specifications	
	(b)	Medical equipment	
	(c)	Scientific equipment	
	(d)	Allied equipment	
17.	Man-power - Department wise and year wise provision		
	(a)	Full time teaching staff	
	(b)	Technical staff	
	(c)	Administrative staff	
	(d)	Ancillary staff	
	(e)	Salary structure	
	(f)	Mode of payment of salary	
	(g)	Recruitment procedure	
	(h)	Recruitment calendar	
18.	Building Programme		
	(a)	Departments, lecture theatres, examination hall, museum etc.	
	(b)	Staff quarters	
	(c)	Staff and students hostels	
	(d)	Administrative office	
	(e)	Library	
	(f)	Auditorium	
	(g)	Teaching pharmacy	
	(h)	Mortuary	
	(i)	Cultural and recreational centre	
	(j)	Sports complex	
	(k)	Medicinal plants garden	
	Other facilities (State name of other facilities)		
19.	Proposed Phase Programme and quarter wise schedule of activities indicating		
	(a)	Commencement and completion of building design	
	(b)	Local body approvals	
	(c)	Civil construction	
	(d)	Provision of engineering service and equipment	
	(e)	Requirement of staff	
	(f)	Schedule of admission	
20.	Project Cost		
	(a)	Capital cost of land	
	(b)	Buildings	
	(c)	Plant and machinery	
	(d)	Medical, scientific and allied equipment	
	(e)	Furniture and fixtures	
	(f)	Preliminary and preoperative expenses	
21.	Means of financing the project		
	(a)	Contribution of the applicant	
	(b)	Grants	
	(c)	Donations	

	(d)	Equity	
	(e)	Term loans	
	(f)	Other sources, if any	
22.		Revenue assumptions	
	(a)	Fee structure	
	(b)	Hospital user charges	
	(c)	Estimated annual revenue from various sources	
23.		Expenditure assumptions	
	(a)	Operating expenses	
	(b)	Depreciation	
24.		Operating results	
	(a)	Income statement	
	(b)	Cash flow statement	
	(c)	Projected balance sheets	
25.		Name, address and details of existing hospital	
	(a)	Bed strength	
	(b)	Bed distribution, bed occupancy and whether anorm of 1:2 ratio of in-patients per student would be fulfilled	
	(c)	Built up area	
	(d)	Clinical and para clinical disciplines	
	(e)	Number of outpatient departments and department wise attendance	
	(f)	Architectural and layout plans	
	(g)	List of medical or allied equipment	
	(h)	Capacity and configuration of engineering services	
	(i)	Hospital services, administrative services, other ancillary and support services (category wisestaff strength)	

Signature of Applicant

LIST OF ENCLOSURES:

1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed, translated into any one of National Language.
2. Certified copy of certificate of registration.
3. Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the available land as proof of ownership, translated in any one of the National Language (Hindi or English).
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital.
7. Certified copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration.
8. Certified copy of the “Consent of Affiliation” issued by a recognised University.
9. Authorisation letter addressed to the bankers of the applicant authorising the National Commission for Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
10. All the measurements of the land and buildings must be in METRIC SYSTEM.
11. Any other documents as required by National Commission for Homoeopathy.
12. Other enclosures as per the various parts of applications (Please indicate details).

Note : All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-2

(See sub-regulation (2) of regulation 4)

APPLICATION FOR PERMISSION TO OPEN A NEW OR HIGHER COURSE OF STUDYOR TRAINING

1. Name of the applicant (in BLOCK letters)_____
2. Complete Address with PIN code, telephone number, or mobile number and email address(in BLOCK letters) _____
3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, telephone numbers, mobile, e-mail and website)_____
4. Status of applicant whether State Government or Union territory Administration, University or Public or Private Trust_____
5. Registration Number and date: Central or State Government Authority or Charity commissioner or NITI Aayog Portal ID (, if any)_____
6. Name and address of Affiliating University_____
7. Year of admission of first batch for undergraduate course_____
8. Month and year of completion of first admitted undergraduate batch_____
9. Number of seats approved and date of recognition by Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy for existing undergraduate or post-graduate course(s)_____
10. Name of the proposed new or higher course (s) of study_____
11. Number of seats applied for undergraduate and post-graduate in each course subject wise_____
12. Details of additional financial allocation_____
13. Details of Provision for additional space_____
14. Details of Equipment and other infrastructure facilities as per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 _____
15. Details of Provision of recruitment of additional staff _____
16. Any other relevant information_____

Date : Signature of Applicant

Full Name: _____

Designation: _____

LIST OF ENCLOSURES:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration.
2. Attested copy of the continuance or concurrence of affiliation issued by a recognised University.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government or the National Commission for Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy approving recognition of the college or institution, if already approved by Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy.
5. All annexures required as per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 to be attached with the form wherever required duly attested bythe Principal or Director or Dean of the Applicant College or Institute.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-3

(See sub-regulation (3) of regulation 4)

APPLICATION FOR PERMISSION TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY

1. Name of the applicant (in BLOCK letters)_____
2. Complete Address with PIN code, telephone number, or mobile number and email address

   (in BLOCK letters) _____
3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, telephone numbers, mobile, e-mail and website of institute or college)_____
4. Status of applicant whether State Government or Union territory Administration, University or Public or Private Trust _____
5. Registration Number and date: Central or State Government Authority or Charity commission or NITI Aayog Portal ID (if any) _____
6. Name and address of Affiliating University _____
7. Year of admission of first batch for undergraduate course _____
8. Month and year of admission of first batch admitted to undergraduate course _____
9. Month and year of completion of first admitted undergraduate batch _____
10. Number of seats approved and date of recognition by Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy, for existing undergraduate or post-graduate course(s) _____
11. Name of the course(s) of study applied_____for increase in admission capacity
12. Number of seats_____in each subject or course
13. Details of additional financial allocation_____
14. Details of provision for additional space, equipment and other infrastructure facilities as perthe National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024_____
15. Details of provision for recruitment of additional staff
16. Any other relevant information _____

DATE: **SIGNATURE OF APPLICANT**

Full Name: _____

Designation:_____

List of enclosures:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration.
2. Attested copy of the continuance or concurrence of affiliation issued by a recognised University.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government or National Commission for Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from Ministry of Ayush or Central Council of Homoeopathy or National Commission for Homoeopathy approving recognition of the college or institution, if already approved.
5. All annexures required as per the National Commission for Homoeopathy (Minimum Essential Standards for Homoeopathic Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2024 to be attached with the form wherever required duly attested by the Principal or Director or Dean of the Applicant College or Institute.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-4

(See clause (b), sub-regulation (1) of regulation 5)

NO OBJECTION CERTIFICATE FROM THE STATE GOVERNMENT

No…….

Government of …….

The Department of AYUSH,

To,

Dated, the ……

(Name and address of applicant),

Subject: No Objection Certificate

Reference:

Sir,

The desired "No Objection Certificate" in respect of following facts is being issued:

(1) Number of Homoeopathic institutions already existing in the concerned district and captive population.

(2) Number of seats available or number of Homoeopathic practitioners being produced annually.

(3) Number of Homoeopathic practitioners registered with the State Council or Board of Homoeopathy.

(4) Number of Homoeopathy practitioners in State Government Service.

(5) Number of vacant Government posts of Homoeopathy doctors in the State, particularly in rural or difficult areas.

(6) Number of Homoeopathy doctors registered with the State Employment Exchanges.

(7) Homoeopathy Doctors-population ratio in the State

(8) How the establishment of the medical College or increase in admission capacity or starting ……..course would resolve the problem of deficiencies of qualified medical personnel in the State and improve the availability of such medical manpower in the State,

(9) The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are not domiciled in the State from obtaining admissions in the State be specified.

(10) Full justification for opening of the proposed medical College or increase in admission capacity or starting new or higher course.

(11) Homoeopathy Doctors-population ratio to be achieved.

i. The (name of the applicant) …….. has applied for establishment of new medical institution (Homoeopathy Medical College) at ……. On careful consideration of the proposal, the Government of …….. has decided to issue "No Objection Certificate" to the applicant for the establishment of a new medical institution (Homoeopathy Medical College) with …… (Number) seats capacity starting …….. Course.

ii. The (name of the applicant) ……. has applied for increase in admission intake capacity from ……. To …… seats starting …… year at (Homoeopathy Medical College) medical institution.

On careful consideration of the proposal, the Government of …….. has decided to issue "No Objection Certificate" to the applicant for the increase in intake capacity (Homoeopathy Medical College) from …… to …… (Number) seats capacity.

iii. The (name of the applicant) ……. has applied for opening of new higher courses or increase intake seats capacity in existing higher course at …….. On careful consideration of the proposal, the Government of …… has decided to issue " No objection Certificate" to the applicant for the establishment of a new higher course or increase intake seats capacity in existing higher course with …… (Number) of seats …….. for (a) Homoeopathy Materia Medica (b) seats …….. for Organon of Medicine (c) seats …….. for Repertory (d) seats …….. for Pharmacy (e) seats …….. for Practice of Medicine (f) seats …….. for Pediatrics (g) seats

…….. for Psychiatry (h) seats …….. for Community Medicine (i) seats …….. for Dermatology capacity starting new or increase admission capacity in …… course.

It is certified that;

(a) The applicant owns and manages a fifty bedded hospital, which was established in the year…….

(b) It is desirable to establish a new medical institution or opening new higher course in the public interest or increase in admission capacity or starting ……. Course and

(c) Establishment of new medical institution or increase in admission capacity or starting……course at..... by (the name of Trust) is feasible.

It is also certified that adequate clinical material as per norms of the Minimum Essential Standard in force are available with the proposed or existing Medical Institution (Homoeopathy Medical College).

It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the Homoeopathy College as per Minimum Essential Standards norms in force and fresh admissions are stopped by the National Commission for Homoeopathy or Central Government, the State Government shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of the Central Government.

This No objection certificate granted is valid for the period of three years from the date of issue

Yours faithfully,

(Signature of the Competent Authority)

Office Seal

FORM-5

(See clause (g), sub-regulation (1) of regulation 5))

CONSENT OF AFFILIATION

No…….

University…….

Place:_____

Dated: _____

On the basis of the report of the Local Inquiry Committee, the University of -------- has agreed in principle, to affiliate the proposed Homoeopathy College with admission capacity of ……seat to be established at ---------- by the (name of the applicant), increase in admission capacity from _____ seats to _____ seats of ---------- Course or starting Course or Subject to grant of permission by the President, Medical Assessment and Rating Board, National Commission for Homoeopathy, Government of India, Ministry of Ayush, New Delhi under section _____of the National Commission for Homoeopathy Act 2020 and regulations there upon.

Yours faithfully,

(Signature of the Registrar)

Office seal

Note:- While issuing Consent of Affiliation to the applicant, a copy of the same along with detailed inspection report of the proposed homoeopathic medical College or institute shall be provided in the prescribed format to the President, MARBH, 61-65, opposite D Block Rd, Institutional Area, Janakpuri, Delhi-110058.

It is mandatory for the college or institute to apply for Continuance of Affiliation or Concurrence of affiliation every year subject to grant of permission from National Commission for Homoeopathy under Ministry of Ayush, Government of India.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.15 04:36:38 +05'30'